पंजीयन - S 9500/78-79-दिल्ली

अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ

(बिहार प्रदेश)

ई० शैलेन्द्र कु० मण्डल
(अध्यक्ष)

(कार्यालय :- 82, गंगा टावर, एल.सी.टी. घाट, मैनपुरा, पटना-1)
दूरभाष : ~~9431694631~~, 9304591722 0612-2270165

पत्रांक 1358 दिनांक 20.07.2015

सेवा में,

माननीय श्री नीतीश कुमार,
मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, पटना ।

2404
21/07/15
मुख्य मंत्री सचिवालय
बिहार, पटना

विषय :- बिहार के "धानुक जाति" को आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe) में शामिल करने के संबंध में ।

महोदय,

धानुक एक राष्ट्रीय जाति है, जो सम्पूर्ण भारतवर्ष में पायी जाती है । यह जाति विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न नामों, विभिन्न उपजातियों, विभिन्न गोत्रों, विभिन्न उपनामों तथा विभिन्न टाईटलों यथा धानुक, धानक, धनिक, धनवार, धेनुक, धनुर, धानकया, धनेधर, धनुर्धारी, धनुष क्षत्रिय, धानुष, धानुषराय, धाकड़ा धनुवंशी, धनवन्त, धनन्जय, धनकड़, धाकड़, धाकरे, कंठ, कठेरिया, कैठिया, कथेरिया, कोरी, गोरवी, जुलाहे, वसोड, वर्गी, बरार, वंशकार, वास्को, साइस, वावन, मंडल, मेहता, महतो, महाशय, पडवी, तलवी, राउत, हजारी, लकरीह, भुसेली आदि नामों से पुकारी जाती है । परन्तु मूल नाम धानुक/धानक हीं है जो आदि काल में धनुष बाण बनाना व चलाना इस जाति का परम्परागत पेशा रहा है तथा यह मूल निवासी है । प्रकारान्तर में इस पेशा की उपयोगिता खत्म हो जाने के कारण इस समाज का कोई परम्परागत पेशा नहीं रहा । परिणामस्वरूप इस समाज में बेकारी घर कर गई और आर्थिक रूप से यह समाज पिछड़ता चला गया । नतीजनत अशिक्षा, बेकारी, गरीबी एवं भुखमरी के कारण यह समाज गुलाम प्रथा का शिकार हो गया । आज यह समाज अपमानजनक पेशा अपनाये हुए है । इस समाज के बहुसंख्यक लोग बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर, खेतिहर मजदूर, नौकर, दाई, चौका-बर्तन, होटल बैरा, बकरीपालन, गायपालन आदि का काम कर रहे हैं । समाज इस जाति को हिकारत की नजर से देख रहा

है । धानुक जाति की आर्थिक जर्जरता के कारण इस समाज के अधिकांश लोग बड़े-बड़े शहरों में पलायन कर खानाबदोश या गुमनामी की जिन्दगी जीने को विवश है । सर्वे बताता है कि बिहार से वाहर रोजी-रोटी कमने हेतु पलायन करने वाले सभी वर्गों में धानुक जाति की आबादी सर्वाधिक है । इस जाति का मानसिक और शारीरिक शोषण इतना अधिक हुआ है कि यह जाति समाज की मुख्यधारा से कट गई है।

बिहार में इस जाति को अति पिछड़ा वर्ग की सूची में रखा गया है, जिसे बिहार के धानुक समाज ऐतिहासिक भूल मानता है। बिहार में धानुक जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखने हेतु निम्नलिखित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं तथा बिहार के संदर्भ में इस जाति के साथ हुई नाइंसाफी एवं भेदभाव को भी उजागर कर रहे हैं ।

1. धार्मिक ग्रन्थों यथा वेद, पदम् पुराण, प्रसूति पुराण में इस समुदाय को अनार्य के रूप में वर्णित किया गया है ।
2. "W. CROOKE" ने अपनी पुस्तक "THE TRIBES AND CASTES OF NORTH-WESTERN PROVINCES AND OUDH" के Volume-2 के पृष्ठ-271 (1896 में प्रकाशित) पर धानुक जाति को जनजाति (Tribes) होने का उल्लेख [DHANUK Sanskrit Dhanuska, "an Archer" (Tribes)] a low tribe (छायाप्रति संलग्न Annexure-I, पेज-13 से 16 पर) है ।
3. "इब्सन" ने 1861 ई0 में सर एच0 इलियट को उद्धृत करते हुए बताया है कि धानुक जाति, धनुष धारण करने वाली जनजाति (Tribes) कौम है ।
4. आर.बी. रसेल एवं राय बहादुर हीरा लाल की पुस्तक "TRIBES AND CASTES OF THE CENTRAL PROVINCES OF INDIA" के Volume-2 के

पृष्ठ सं0– 484 (1916 में प्रथम प्रकाशित) पर धानुक जाति को धनुष धारण करने वाली जनजाति (Tribe) कौम बतलाया है ।

5. "THE PEOPLE OF INDIA" भाग–1 के लेखक हवर्ट होप रिजले, श्री एन0के0 शुक्ल की पुस्तक "THE SOCIAL STRUCTURE OF INDIAN VILLAGES" के Volume-1, श्री जे0एन0 भट्टाचार्य की पुस्तक "HINDU TRIBES AND CASTES" के पृष्ठ सं0– 247, श्री राम चरण विधार्थी द्वारा लिखित "भारत की युग यात्रा" भाग–1 के पृष्ठ संख्या–225 तथा अनेक धार्मिक ग्रन्थों एवं ऐतिहासिक पुस्तकों में सभा विद्वानों एवं समाज विज्ञानियों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि धानुक एक जनजाति (Tribes) कौम है ।

6. संपूर्ण भारतवर्ष में धानुक जाति, अनुसूचित जाति/ जनजाति में शामिल हैं, (15 राज्यों में, पहले 13 राज्यों में था, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड बनने पर 15 राज्यो में अनुसूचित जाति और 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति में शामिल है ।) यहाँ तक की विश्व में भारत के अलावा नेपाल में भी धानुक जाति की आबादी है और नेपाल में यह जाति, जनजाति (Tribe) में है (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक–IV, पेज 56 से 58 पर) परन्तु दुर्भाग्य है कि बिहार में यह जाति अति पिछड़े वर्ग में शामिल है । सिर्फ बिहार में ही धानुक जाति अतिपिछड़ा वर्ग में शामिल क्यों है? अनुसूचित जनजाति/जाति में क्यों नहीं है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर का इन्तजार बिहार के धानुक समाज को आजादी के बाद से ही है, जबकि आजादी के आन्दोलन में बिहार के धानुक समाज के अमर शहीद रामफल मण्डल ने फॉसी को गले लगाकर अपनी कुर्बानी दी है।

7. अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष श्री काका कालेलकर ने सन् 1954 ई0 में भारत सरकार को प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेदन में सभी राज्यों में धानुक जाति को अनुसूचित जाति / जनजाति में रखने की सिफारिश की थी ।

8. मुंगेरी लाल आयोग द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा प्रतिवेदन के तीसरे भाग में आयोग ने स्वयं स्वीकार किया है कि "समयाभाव के कारण प्रत्येक जाति की दुरावस्थाओं का अध्ययन करना आयोग के लिए संभव नहीं था" । इससे साबित होता है कि "मुंगेरी लाल आयोग" ने बिहार के धानुक समाज का अध्ययन ही नहीं किया और अध्ययन न करने के परिणाम स्वरुप आज भी अति पिछड़े वर्ग की सूची में बना हुआ है।

9. बिहार में अति पिछड़े वर्ग की सूची में 114 जातियां शामिल है, जबकि केन्द्र सरकार में अति पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण है ही नहीं, इस कारण बिहार के धानुक समाज के साथ-साथ बिहार के सभी अति पिछड़ा वर्ग का केन्द्रीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है । यही वजह है कि बिहार के 44 प्रतिशत आबादी वाले अतिपिछड़ा समूह (हिन्दू मुसलमान सहित) का केन्द्रीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व शून्य है ।

10. भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के साथ भेदभाव राज्य स्तर पर दिखता है, इसके कारणों के तह में जाने पर यह तथ्य सामने आ रही है कि बिहार के अतिपिछड़े वर्गों का बहुत बड़ा भाग जो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और परम्परागत रोजगार रुप में हाशिये पर चली गयी, यही वर्ग रोजगार की तलाश में देश की अन्य भागों में पलायन कर गये । इनकी अशिक्षा, गरीबी और लाचारी का उपहास उड़ाया गया और बिहारी होने का दंड । यही वर्ग अन्य राज्यों में बिहारी कहलाये और बिहार में आने पर अति पिछड़ा वर्ग या दलित । परिणामस्वरूप राज्य के साथ भेदभाव का असर सिर्फ अति पिछड़ा या दलित पर ही नहीं हो रहा है बल्कि सभी बिहारियों पर, इसलिए यह आवश्यक है कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व देकर रास्ता तलाशा जाना चाहिए ।

बिहार में अनुसुचित जाति की सुची में 23 जातियां शामिल हैं, जो बिहार की कुल आबादी का 15.70 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जनजाति की सूची में 33 जातियां शामिल हैं जो कुल आबादी का मात्र 1.2 प्रतिशत है । बिहार की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 10.38 करोड़ है ।

बिहार की 114 जातियों वाला अति पिछड़ा जाति समुह में शामिल अधिकांश जातियां अन्य प्रदेशों में अनुसूचित जाति/ जनजाति में शामिल है । यही वजह है कि बिहार में अनूसूचित जाति समुह में मात्र 23 जातियां शामिल है, जबकि 3 करोड़ से उपर आबादी वाले बड़े राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल किये गये जातियों की संख्या अनुपात में तुलना करने पर राष्ट्रीय औषत अनुपात में बिहार में अनुसूचित जाति/ जनजाति में शामिल किये गये जातियों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है ।

P.T.O.

एक नजर

तीन करोड़ से उपर की आबादी वाले बड़े राज्यों के अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) में शमिल किये गये जातियों की तुलनात्मक विवरणी :- (अनुलग्नक-II)

क्र0	राज्य	अनुसूचित जाति (SC) में शामिल किये गये जातियों की संख्या (अनुलग्नक Appendix-A)	अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल किये गये जातियों की संख्या (अनुलग्नक Appendix-B)	अनुसूचित जाति तथा जन जाति में शामिल किये गये जातियों की कुलसंख्या कालम (3+4)	आबादी 2011 जनगणना Appendix-C (पिज-17 पर)
1	उत्तर प्रदेश	66 (पिज-18,19)	15 (पिज-20)	81	19,95,81,477
2	महाराष्ट्र	59 (पिज-21,22)	47 (पिज-23,24)	106	11,23,72,972
3	पश्चिम बंगाल	60 (पिज-25,26)	40 (पिज-27,28)	100	9,13,47,736
4	आन्ध्र प्रदेश	61 (पिज-29)	35 (पिज-30)	96	8,46,65,533
5	मध्य प्रदेश	48 (पिज-31)	46 (पिज-32,33)	94	7,25,97,565
6	तमिलनाडु	76 (पिज-34,35)	36 (पिज-36)	112	7,21,38,958
7	राजस्थान	59 (पिज-37,38)	12 (पिज-39)	71	6,86,21,012
8	कर्नाटक	101 (पिज-40,41)	50 (पिज-42,43)	151	6,11,30,704
9	गुजरात	36 (पिज-44)	32 (पिज-45,46)	68	6,03,83,628
10	उड़ीसा	95 (पिज-47)	62 (पिज-48,49)	157	4,43,38,419
11	केरल	69 (पिज-50,51)	43 (पिज-52)	112	3,33,87,677
कुल	11 राज्य	730	418	1138	83,05,65,651
	औसत	730 ÷ 11 = 66.36 (Approx 66)	418 ÷ 11 = 38	138 ÷ 11 = 103	83,05,65,651 ÷ 11 = 7,55,05,968
	बिहार	23 (पिज-53)	33 (पिज-54)	56	10,38,04,637

विश्लेषण करने पर जहाँ बिहार की आबादी 10.38 करोड़ है, वहीं अनुसूचित जाति में शामिल किये गये जातियों की संख्या 23 है, जबकि अन्य बड़े राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल किये गये जातियों की अधिकत्तम संख्या 101 तथा न्यूनतम 36 है । बड़े राज्यों में अनुसूचित जाति में शामिल किये गये जातियों का औसत निकालने पर 66 जातियों का औसत आता है । 3 करोड़ से उपर की आबादी वाले बड़े राज्यों के राष्ट्रीय औषत अनुपात में बिहार में 66 - 23 = 43 जातियों का अंतर है, जो बड़ा अंतर है ।

इसी प्रकार बिहार में अनुसूचित जनजाति में शामिल किये गये जातियों की संख्या 33 है जो बिहार में अनुसूचित जातियाँ में शामिल किये गये संख्या से 10 जातियां अधिक हैं, परन्तु बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी मात्र 1.2 प्रतिशत है, वास्तव में चार-पाँच जातियां संथाल, गोण्ड, थारू, उड़ाऊ और खंण्गार को छोड़कर बाकी जातियों का अस्तित्व बिहार में नाम मात्र का है इस प्रकार 33 जातियों का समुह वाला बिहार का अनुसूचित जनजाति समूह **"आँख का अंधा नाम नयन सुख"** वाली कहावत चरितार्थ करता है । फिर भी बड़े राज्यों के तुलना में देखा जाय तो 3 करोड़ से उपर आबादी वाले बड़े राज्यों में अनुसूचित जनजाति में शामिल किये गये जातियों की संख्या अधिकतम 62 और न्यूनतम 12 जातियां हैं । जबकि 3 करोड़ से उपर की आबादी वाले बड़े राज्यों में अनुसूचित जनजाति में शामिल किये गये जातियों का राष्ट्रीय औसत 56 जातियों का आता है । इस प्रकार बड़े राज्यों के औसत अनुपात में 56 - 33 = 23 जातियाँ बिहार में कम हैं ।

बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल किये गये कुल जातियों की संख्या 23+ 33 = 56 है, जबकि तीन करोड़ से ऊपर आबादी वाले बड़े राज्यों में अनुसूचित जाति और जन जाति में शामिल किये गये कुल जातियों की संख्या अधिकत्तम 157 जातियाँ और न्यूनतम 65 जातियाँ और तीन करोड़ से उपर आबादी वाले बड़े राज्यों में अनुसूचित जाति और जन जाति में शामिल किये गये कुल जातियों का राष्ट्रीय औसत 103 जातियाँ का है । इस प्रकार बड़े राज्यों के औसत तुलना में बिहार में अनुसूचित जाति और जन जाति में शामिल किये गये 103 - 56 = 47 जातियाँ कम है, जो बड़ा अंतर है और यह सिद्ध करता है कि बिहार में अनुसूचित जाति / जन जाति के गठन में गड़बड़ है या बिहार के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समाज के साथ हुकमरानों ने धोखाधड़ी या जान बुझकर अनदेखी की है । इसका सबूत भी बिहार में सामाजिक विषमता, गरीबी, अशिक्षा, रोजगार के पलायन, बंधुआ मजदूर आदि के रूप में देखने-सुनने को मिलती है ।

ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि बिहार में जो जातियाँ अति पिछड़ा वर्ग में है वही जातियाँ अन्य प्रदेशों में अनुसूचित जाति/ जनजाति में है । गौरतलब है कि उपरोक्त सारे बड़े राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र को छोड़कर अतिपिछड़ा वर्ग का कोई वर्गीकरण नहीं है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि बिहार का अतिपिछड़ा वर्ग समूह अन्य प्रदेशों का अनुसूचित जाति / जन जाति समूह ही है ।

इसलिए मांग करते है कि न सिर्फ धानुक जाति को बल्कि बिहार के अति पिछड़ी जाति में शामिल जो जातियां अन्य प्रदेशों में अनुसूचित जाति / जनजाति में है उन्हें उनके सुविधानुसार उस कोटि में जाने देने की अनुशंसा की जानी चाहिए और यह न्याय के साथ समावेशी विकास के सिद्धान्त के अनूकुल है ।

11. कोई भी आंकड़ा उठा कर देखें चाहे बलात्कार, पेट के लिए पलायन, बन्धुआ मजदूरी, बाल मजदूर, अशिक्षा, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, बेघर सारे आंकड़े बिहार के अति पिछड़े वर्गो की भयावहता को दर्शाता है । कार्यपालिका में जन नायक कर्पुरी ठाकुर द्वारा मुंगेरी लाल कमीशन लागू किये जाने के कारण कुछ लोग आ पाए है, परन्तु अगर अति पिछड़े वर्ग की तुलना में अनुसूचित जाति / जन जाति को देखा जाये तो सभी उच्च पदों पर अनुसूचित जाति / जनजाति है, परन्तु 114 जातियों (44 प्रतिशत आबादी हिन्दू और मुस्लिम) के समूह वाला बिहार के विशाल अति पिछड़ा समूह का प्रतिनिधित्व बिहार सरकार के सभी उच्च पदों पर लगभग शुन्य है । केन्द्र सरकार की तो बात ही छोड़ दिजीए, वहाँ तो उच्च पदों का क्या, निम्न पदों पर भी बिहार के अति पिछड़ा समुह का प्रतिनिधत्व शुन्य है । बिहार सरकार में पदोन्नति में अति पिछड़े वर्गों का आरक्षण नहीं रहने से इस वर्ग का बिहार की कार्यपालिका में कोई भूमिका नही है । जिस कारण कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व विहीन इस वर्ग का हित रक्षक कोई नहीं है और कृपा पात्र बना हुआ है । आरक्षण सिर्फ रोजी रोटी का जरिया ही नहीं होना चाहिए बल्कि सरकार में समावेशी प्रतिनिधित्व के रूप में लिया जाना चाहिए तभी समावेशी विकास की अवधारना मूर्त रूप ले सकेगी । अन्यथा राजनीतिक रूप से ऐतिहासिक भूल होगी जिसका खामियाजा सामाजिक

असंतुलन के रूप में वर्तमान में बिहार में दिख रहा है और भविष्य में ज्यादा देखने को मिलेगा ।

12. 1990 में मंडल आयोग की अनुशंसाओं में से सिर्फ सरकारी नौकरियों में तमाम पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण केन्द्रीय स्तर पर लागु हुआ, केन्द्रीय स्तर पर पिछड़ा समूह में वर्गीकरण नही होने से केन्द्र में अति पिछड़ा समूह की हिस्सेदारी में सेंध लग गयी या एल0 आर0 नायक की भाषा में बड़ी मछली छोटे मछली को खा गयी । यहीं वजह है कि मंडल लागू होने के 25 वर्ष के पश्चात् भी केन्द्रीय सेवाओं में अति पिछड़ो का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है और खासकर बिहार के अति पिछड़ समूह का केन्द्रीय कार्यपालिका में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यहीं वजह है कि इस वर्ग में शिक्षा के प्रति या उच्च शिक्षा के प्रति निराशा का माहौल है ।

13. बिहार के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदय के ज्ञापांक संख्या–78, संख्या–1 राजभवन, 23.12.1978 के द्वारा बिहार सरकार के मंत्रीमंडल सचिवालय के सचिव को पत्र लिखकर धानुक जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने हेतु निदेशित किया गया था ।

14. जननायक कर्पूरी ठाकूर, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार ने 31 विधायकों के अनुशंसा सहित अपने पत्रांक – 2020, दिनांक 29.12.1986 द्वारा धानुक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की थी (छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक–III , पेज–55 पर) तथा इसके प्रत्युतर में तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने पत्र संख्या–366/मु0 म0 सं0 दिनांक 07.02.1986 के द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया था ।

15. 14 फरवरी 1993 को "बिहार प्रदेश धानुक उत्थान महासंघ" द्वारा आयोजित गाँधी मैदान, पटना के विशाल जन सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने धानुक जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का आश्वासन दिया था ।

16. बिहार में धानुक जाति की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति अनुसूचित जाति/ जनजाति की सूची में वर्तमान में शामिल कई जातियों से बदत्तर है ।

17. सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति बदतर होने के कारण बिहार से रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर अन्य राज्यों में पलायन करने वाले एवं खानाबदोश की जिन्दगी जीने वाले धानुक समाज हीं सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक है ।

18. बिहार के धानुक समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का बिल माननीय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, पूर्व सांसद द्वारा सांसद में लाया जा चुका है ।

19. बिहार प्रदेश "धानुक समाज" लगातार 33 वर्षों से बिहार में अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर संघर्ष करता आ रहा है । इसी कड़ी में दिनांक 4 मार्च 2013 को धानुक चेतना प्रदर्शन कर लगभग 25,000 प्रदर्शनकारियों के द्वारा गाँधी मैदान, पटना से 'राजभवन' मार्च किया गया तथा बिहार के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल देवानन्द कुंवर से 30 संदस्दीय प्रतिनिधि मंडल मिलकर ज्ञापन सौंपा गया । महामहिम राज्यपाल देवानन्द कुंवर ने प्रतिनिधि मंडल के सभी सदस्यों की बातों को ध्यान से सुनते हुए अपनी अनुशंसा के साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार को कार्रवाई हेतु भेजा गया, जिसमें कार्रवाई अपेक्षित है ।

20. दिनांक 23.08.2013 को अमर शहीद राम फल मंडल के शहादत दिवस के अवसर पर पुरे बिहार में धानुक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु बिहार के सभी जिलों में एकदिवसीय धरना देकर समाज के दर्द को सरकार के सामने लाया गया है ।

21. दिनांक 18.11.2013 को दरभंगा पोली मैदान में आयोजित रैली में समाज के आक्रोश को सामने लाया गया है, जिसमें माननीय सर्वश्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, नेता-राजद, रघुवंश प्रसाद सिंह तत्कालीन सांसद और तमाम राजद नेताओं ने हमारी मांग का समर्थन किया तथा विधान सभा में बिल लाने की बात कही ।

22. राष्ट्रीय जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में धानुक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की घोषणा की है ।

23. दिनांक 09.12.2013 को बिहार विधान परिषद् एवम् दिनांक 13.12.2013 को बिहार विधानसभा में यह मामला उठ चुका है ।

24. दिनांक 30.12.2013 को गोपालगंज में समाज के लोगों ने जन प्रदर्शन कर अपने मांगो को प्रमुखता से सामने लाया है ।

25. छपरा के धानुक समाज ने दिनांक 14 जनवरी को अपने मांगो के समर्थन में प्रदर्शन कर अपनी मांग सरकार के सामने प्रमुखता से लाया है ।

26. सिवान के धानुक समाज ने दिनांक 12 फरवरी 2014 को अपने मांगो के समर्थन में प्रदर्शन कर अपनी मांग सरकार के सामने रखकर विश्वास प्रकट किया है कि सरकार हमारी मांगो को गंभीरता से लेगी एवं उचित कार्रवाई करेंगी ।

27. दिनांक 12 जनवरी 2015 को रविन्द्र भवन, पटना में धानुक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें माननीय सर्वश्री सुशील कुमार मोदी, नन्द किशोर यादव एवं मंगल पाण्डेय ने समाज की मांग का समर्थन किया तथा केन्द्र सरकार से भी पारित कराने का आश्वासन दिया है ।

28. दिनांक 01 फरवरी 2015 को गाँधी संग्रहालय, गाँधी मैदान, पटना में सम्मेलन आयोजित कर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया तथा आगे की कार्य योजना तय की गयी ।

29. बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जो जातियाँ अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में जाने के लिए संघर्षरत है वैसे सभी जातियों के बारे में जल्द से जल्द ठेास निर्णय लेकर अनुसूचित जाति/ जनजाति में शामिल किया जाय, अनिर्णय की स्थिति में लटका कर ना रखा जाये

30. हाल में बिहार में कई जातियो को उनकी स्थिति को देखकर पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में रखने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। इससे बिहार के धानुक समाज को एक आशा और उम्मीद बंधी है कि आपकी सरकार द्वारा धानुक जाति के बारे में भी जल्द ही कोई ठेास निर्णय लेगी। यह अपेक्षा आपसे है क्योंकि समावेशी विकास के सिद्धांत का आप पक्षधर रहे हैं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हमारी मांग जायज एवं वास्तविक तत्यों पर आधारित है । श्रीमान् देश आजादी का जश्न मना रहा है परन्तु बिहार में यह जाति न्याय के लिए संघर्षरत है।

अतः हम शांति पूर्वक माँग करते हैं कि धानुक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाय और ऐतिहासिक तथ्य, दस्तावेजी सबूत एवं वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बिहार के धानुक समाज के साथ हो रहे पक्षपात एवं भेदभाव को अविलम्ब समाप्त कर न्याय दिलाई जाय। अगर आपके द्वारा बिहार के धानुक समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की कार्रवाई की जाती है तो बिहार के धानुक समाज हर मोर्चे पर आपका साथ देगा ।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

20/07/2015

(शैलेन्द्र कु0 मंडल)
अध्यक्ष,
अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ,
बिहार प्रदेश, पटना